बिहार सरकार
अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

सं0संख्या–3जी0 / (आरोप)अजा0अजजा0(राज0)07–15 / – 2248 पटना, दिनांक– 19/11/15

संकल्प

श्री दिनेश कुमार पांडेय, जिला कल्याण पदाधिकारी, नवादा के विरूद्ध श्री जीवन लाल चन्द्रवंशी, जिला अध्यक्ष, जद (यू0), नवादा से प्राप्त परिवाद पत्र पर विभाग द्वारा गठित द्विसदस्यीय जांच दल द्वारा उपलब्ध कराये गये जांच प्रतिवेदन में छात्रवृत्ति अनियमितता का दोषी पाये जाने के आलोक में निलंबन हेतु प्रस्ताव में माननीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया था परन्तु आचार संहिता एवं अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के पत्रांक 4363 दिनांक 10.09.2015 के दिशा–निर्देश के आलोक में निलंबन आदेश निर्गत नहीं किया जा सका था। अब चुनाव सम्पन्न हो चुका है। श्री दिनेश कुमार पांडेय, जिला कल्याण पदाधिकारी, नवादा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

2– निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय उपनिदेशक, कल्याण, पटना प्रमण्डल, पटना निर्धारित किया जाता है।

3– निलंबन अवधि में श्री पांडेय को जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

4– प्रस्ताव में विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/ 19/XI/15
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–3जी0 / (आरोप)अजा0अजजा0(राज0)07–15 / – 2248 **पटना, दिनांक** 19/11/15

प्रतिलिपि– जिला पदाधिकारी, नवादा / उपनिदेशक, कल्याण, मगध प्रमण्डल, गया / पटना प्रमण्डल, पटना / श्री दिनेश कुमार पांडेय, जिला कल्याण पदाधिकारी, नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/ 19/XI/15
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–3जी0 / (आरोप)अजा0अजजा0(राज0)07–15 / – 2248 **पटना, दिनांक** 19/11/15

प्रतिलिपि– आई0टी0मैनेजर, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश है कि उक्त आदेश पत्र को ई–मेल पर अविलम्ब भेजें तथा विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करें।

ह0/ 19/XI/15
सरकार के विशेष सचिव।